UPLK01007618–2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, सीबीआई, पश्चिम/ई0डी0 लखनऊ।

छांगुर बाबा, आयु लगभग 80 वर्ष, पुत्र करीमुल्लाह, निवासी मधपुर, थाना उतरौला, जिला बलरामपुर (यू.पी.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

डायरेक्ट्रेट आफ इन्फोर्समेन्ट गर्वमेन्ट आफ इण्डिया लखनऊ जोनल आफिस लखनऊ 2nd फ्लोर, प्रिन्सेटन बिजनेस पार्क 16 अशोक मार्ग, लखनऊ

.....अभियोगी

ECIR No. ECIR/LKZO/29/2025
धारा–3/4 पीएमएलए 2002
थाना– डायरेक्ट्रेट आफ इन्फोर्समेंट
लखनऊ

दिनांक–20.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **छांगुर बाबा** की ओर से ECIR No. ECIR/LKZO/29/2025, अन्तर्गत धारा–3/4 पीएमएलए 2002 थाना–डायरेक्ट्रेट आफ इन्फोर्समेंट लखनऊ में **प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र** अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के भाई मलूल का **शपथ पत्र** संलग्न किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे गलत, मनगढ़न्त एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के अनुसार जांच एजेन्सी द्वारा प्रकरण में उसे व उसके परिवार को परेशान व अपमानित करने के इरादे से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रकरण ई0 डी0 से संबंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त वृद्वावस्था संबंधी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। प्रार्थी को निरंतर कारावास में रखने से उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर नुकसान पहुंचेगा। प्रार्थी के विरुद्व कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। अभियुक्त के विरुद्व धनशोधन अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला नही बनता है। थाना एटीएस गोमती नगर, जिला लखनऊ में केस क्राइम

Rahul Prakash
2026-06-20T15:
32:45+0530

नं0–08/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी। प्रेडीकेट अफेन्स की जांच पहले ही आरोपपत्र दाखिल करने के साथ समाप्त हो चुकी है। शेडयूल अफेन्स की जांच के दौरान ई0डी0 ने धन शोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानो के तहत मामले का संज्ञान लिया। अभियोजन के कथनानुसार दुबई स्थित कंपनी यूनाइटेड मरीन एफजेडई के बैंक खाते मे कुछ संदिग्ध जमा राशि पायी गयी जिसका संचालन कथित तौर पर सह अभियुक्त नवीन रोहरा द्वारा किया जाता है। उक्त धनराशि एमिरेट्स एनबीडी बैंक मशरेक बैंक व विभिन्न वोस्ट्रो खातो के माध्यम से स्थानान्तरित की गयी थी। प्रार्थी के विरुद्व किसी भी प्रकार के गुप्त, नकद लेनदेन या हवाला लेनदेन का कोई आरोप नही लगाया गया है। अभियोजन की ओर से लगाये गये आरोप पूरी तरह से निराधार है तथा अनुमानो, निष्कर्षो व अटकलो पर आधारित है। अभियोजन यह साबित करने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रहा कि प्रार्थी ने किसी विदेशी बैंक खाते का संचालन किया। बयानो से केवल प्रार्थी व सह अभियुक्तगण के बीच जान पहचान व सामाजिक/धार्मिक संबंध व कुछ संपत्ति लेन देन का संकेत मिलता है। प्रकरण में अभियोजन कोई भी बैकिंग रिकार्ड, आदेश, निर्देश संचार, खाता खोलने का दस्तावेज या अन्य सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रार्थी ने जानबूझकर अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रुप में छिपाया, अपने पास रखा या अर्जित किया या उपयोग किया। अभियोजन पक्ष किसी ऐसे गवाह को रिकार्ड पर लाने में असफल रहा है जिसने प्रार्थी को प्रोसीड आफ क्राइम से किसी संपत्ति के अधिग्रहण से विशेष रुप से जोड़ा हो। अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप पूर्ण रुप से भ्रामक व कानूनी रुप से मान्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित नही है। कथित धनराशि मान्य प्राप्त व पता लगाने योग्य बैंकिंग चैनलो के माध्यम से भेजी गयी थी। प्रार्थी द्वारा विधि व्यवस्था विजय मदन लाल चौधरी बनाम यूनियन आफ इंडिया, पंकज बंसल बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं पी0 चिदम्बर बनाम ई0डी0 पर बल दिया गया। प्रार्थी ने जांच के दौरान सहयोग किया है तथा पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। प्रार्थी कानून का पालन करने वाला नागरिक है तथा उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नही है। प्रार्थी की आयु लगभग 82 वर्ष है तथा वह वृद्वावस्था संबंधी बीमारियो व दुर्बलताओं से पीड़ित है। ई0डी0 द्वारा प्रकरण में शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है। वर्तमान प्रार्थी के विरुद्व जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है। ई0 डी0 ने प्रार्थी के विरुद्व न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी ने कभी

Rahul Prakash
2026-06-20T15:
32:45+0530

गवाहो को प्रभावित करने या सबूतो से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया हो। प्रकरण में सबूतो से छेड़छाड़ की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा जमानत में लगायी गयी किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार है। उपरोक्त कथनो के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना किया है।

ई0डी0 की ओर से **आपत्ति/रिप्लाई** दाखिल करते हुये प्रार्थी द्वारा दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र के कथनो से इंकार किया है तथा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपराध कारित किया गया है। धनशोधन के अपराध के आरोपी व्यक्ति को तभी रिहा किया जा सकता है जब पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित शर्ते सटीसफाइड हो। अभियुक्त को धारा 45 के अंतर्गत जमानत की शर्तो को पूरा करना आवश्यक है। ई0डी0 द्वारा विधि व्यवस्था विजय मदन लाल चौधरी व अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य 2022 एससीसी आनलाइन एससी 929 पर बल दिया। ई0डी0 द्वारा 24 Burden of proof में प्रतिपादित सिद्वान्तो पर बल दिया। ई0डी0 द्वारा आपत्ति के पैरा 14 में प्रेडीकेट अफेन्स एवं उससे सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ई0डी0 के अनुसार जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी ने शेडयूल अफेन्स से प्राप्त अपराध की आय के सृजन, कब्जा, अधिग्रहण व उपयोग में केन्द्रीय व सक्रिय भूमिका निभाई है। जांच के दौरान एकत्र सामग्री से पता चलता है कि दुबई व अन्य विदेशी स्रोतो से सह अभियुक्त द्वारा नियन्त्रित खातो के माध्यम से पर्याप्त धनराशि भेजी गयी थी एवं बाद में सहयोगियो व परिवार के सदस्यो के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण व निर्माण कार्यो के लिए इसका उपयोग किया गया था। जांच के दौरान प्राप्त सामग्री से अभियुक्त की धनशोधन के अपराध मे सक्रिय संलिप्तता का पता चलता है। धनशोधन का अपराध एक गम्भीर आर्थिक अपराध है, जो वित्तीय प्रणाली व विधि के शासन को प्रभावित करता है। जांच से ज्ञात हुआ कि एमिरेटस एनबीडी बैंक, मशरेक बैंक व विभिन्न वोस्ट्रो खातो सहित विदेशी खातो से बड़ी मात्रा में धनराशि अभियुक्त व उसके सहयोगियो द्वारा नियंत्रित खातो में स्थानान्तरित की गयी थी। खुद को पीर घोषित करने वाले छांगुर ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान मे स्वीकार किया कि वह नवीन घनश्याम रोहरा व नीतू रोहरा के साथ व्यापारिक व संपत्ति संबंधी सौदो में घनिष्ठ रुप से जुड़ा हुआ था। छांगुर ने नवीन रोहरा के पूर्ण खर्चे पर 16.01.2025 से 28.02.2015 तक दुबई की यात्रा की। उसके द्वारा नवीन रोहरा के साथ मिलकर संदिग्ध विदेशी खातो से 21.08 करोड़ रु0 की

Rahul Prakash
2026-06-20T15:
32:45+0530

रकम भारतीय एनआरई/एनआरओ खातो में ट्रांसफर करवाई व उक्त आपराधिक धन का इस्तेमाल अचल संपत्तियो की खरीद, शोरुमो के निर्माण अस्पताल, गोदाम आदि के लिये किया। प्रकरण में धनशोधन के अपराध मे अभियुक्त की सक्रियता व संलिप्तता साबित होती है। प्रार्थी ही वह मुख्य व्यक्ति था जिसके इर्द गिर्द पूरा गिरोह काम करता था। प्रार्थी ने स्वयं नवीन रोहरा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध व विभिन्न संपत्ति लेन देन में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जांच से ज्ञात हुआ कि विदेशी स्रोतो से प्राप्त पर्याप्त धन को बैंकिंग चैनलो के माध्यम से स्थानान्तरित किया गया व संपत्ति के लेन देन में उपयोग किया गया जिसमें प्रार्थी प्रत्यक्ष रुप से शामिल था। प्रार्थी ने जानबूझकर प्रोसीड आफ क्राइम को छिपाने, अपने पास रखने, हासिल करने व उसका उपयोग करने में सहायता किया। प्रार्थी द्वारा धनशोधन का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त के विरुद्व धनशोधन के अपराध मे संलिप्तता के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। जांच में पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य मिले है। ई0डी0 का कथन है कि प्रार्थी को तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है जब उसके द्वारा पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित दोनों शर्ते पूरी हो। जांच के दौरान एकत्र की गयी सामग्री, जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य, बैक रिकार्ड, संपत्ति दस्तावेज व पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान शामिल है। प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित दोनों शर्तो को पूरा नही किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलो में यह टिप्पणी की है कि आर्थिक अपराध गम्भीर प्रकृति के होते है, एक अलग श्रेणी के अपराध है जो गहरी साजिशो से उत्पन्न होते है और जमानत पर विचार करते समय समाज पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपरोक्त कथनो के आधार पर ई0 डी0 द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना किया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं ई0 डी0 की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा प्रपत्रो का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रोसीड आफ क्राइम के तहत प्राप्त धन को प्राप्त करने, उसको छिपाने, अधिग्रहण करने तथा उसका उपयोग करने में मुख्य भूमिका निभाई। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर विदेशी स्रोतो से नियन्त्रित खातो के माध्यम से भारी मात्रा में धनराशि को भेजा गया तथा सहयोगियो व परिवार के सदस्यो के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियो के अधिग्रहण व निर्माण कार्यो के लिए उसका उपयोग किया

Rahul Prakash
2026-06-20T15:
32:45+0530

गया। अभियुक्त द्वारा संपत्तियों की पहचान करके लेन देन के संबंध में बातचीत करने, धन की व्यवस्था करने तथा संपत्ति अधिग्रहण के लिए दूषित फण्ड का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर संदिग्ध विदेशी स्रोतो से 21.08 करोड़ रु0 की धनराशि भारतीय एनआरई एवं एनआरओ खातो में ट्रान्सफर करवाकर उपरोक्त धन का इस्तेमाल अचल संपत्तियों की खरीद, शोरुम के निर्माण, अस्पताल, गोदाम आदि के लिए किया गया। अभियुक्त द्वारा अवैध धार्मिक धर्मान्तरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्व साजिश में लिप्त अपने गिरोह के लिए अचल संपत्तियों और व्यवसायो के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त अवैध धन को छिपाने का लाभार्थी भी रहा है। अभियुक्त अवैध धार्मिक धर्मान्तरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्व षडयन्त्र में संलिप्त था। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ स्वयं के घनिष्ठ संबंध होने व संपत्ति के लेन देन में स्वयं की संलिप्तता को भी धारा 50 के बयान में स्वीकार किया है। अभियुक्त प्रोसीड आफ क्राइम से संबंधित प्रक्रिया व गतिविधि में सक्रिय रुप से सम्मिलित था। अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण से काफी भारी मात्रा मे धनराशि प्राप्तकी गयी जिसका उपयोग धर्म परिवर्तन आदि में करके 100 करोड़ की सम्पत्ति अर्जित की। मुख्य अभियुक्त को सह अभियुक्त ने धन उपलब्ध कराया जिसका इस्तेमाल मुख्य अभियुक्त द्वारा अवैधानिक कृत्यों में किया गया जो कि राष्ट्र विरोधी थी।

दौरान बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियुक्त ने जो भी धनराशि प्राप्त की वह सह अभियुक्त द्वारा अपने बैंक खातो से भेजी गयी थी। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नही किया है, का कथन किया है, लेकिन यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण का सहयोग किया और इस प्रकार अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रोसीड आफ क्राइम जेनरेट किया।

विधि व्यवस्था **RAZORPAY SOFTWARE (P) LTD. V. UNION OF INDIA, (2024) 1 HCC (KAR) 1** का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि–

Para 30. The essential elements to constitute an offence under Section 3 of the Act are as follows:

Proceeds of crime: Involvement with the property derived from criminal activity.

Rahul Prakash
2026-06-20T15:
32:45+0530

Directly or indirectly engaging: Participation in concealing, transferring or removing the proceeds of the crime.
Knowledge or reason to believe: The accused must have knowledge or reason to believe that the property involved is derived from a criminal activity related to a scheduled offence.
Criminal activity: The offence under Section 3 tr the PMLA is linked to the scheduled offences listed in the act.
Intent: There should be intention on the part of the accused to project the proceeds of the crime as untainted money.
Para 31. These elements form a basis to prosecute a person under Section 3 of the PMLA.
Para 37. When there is no prima facie material to substantiate that Accused 7 knowingly facilitated the transfer of proceeds of the crime, no presumption can be drawn that the petitioner was involved in money laundering as stated under Section 24, and the burden is on petitioner to prove otherwise.

यहां पर विधि व्यवस्था **प्रदीप निरंकार नाथ शर्मा बनाम डायरेक्टर आफ ई0डी0 व अन्य 2025 एससीसी आनलाइन 560** में यह अभिकथन किया कि–

The law recognizes that money laundering is not a static event but an ongoing activity, as long as illicit gains are possessed, projected as legitimate, or reintroduced into the economy. Thus, the argument that the offence is not continuing does not hold good in law or on facts, and therefore, the judgment of the High Court cannot be set aside on this ground. Even if examined in the context of the present case, the appellant's contention does not hold water. The material on record indicates the continued and repeated misuse of power and position by the appellant, resulting in the generation and utilization of proceeds of crime over an extended period. The respondent has successfully demonstrated prima facie that the appellant remained involved in financial transactions linked to proceeds of crime beyond the initial point of commission. The utilization of such proceeds, the alleged layering and integration, and the efforts to project such funds as untainted all constitute elements of a continuing offence under the PMLA. Thus, the proceedings initiated against the appellant are well within the legal framework and cannot be assailed on this ground.

35. Given the severe and grave nature of the allegations against the appellant, it is imperative that he must undergo thorough judicial scrutiny during trial. A proper trial is necessary to unearth the full extent of the offence, to evaluate

Rahul Prakash
2026-06-20T15:
32:45+0530

the evidence produced by the appellant, to analyze the complete chain of final transactions, and find out the veracity of the severe allegations and the amount of proceeds of crime. The legal framework under the PMLA serves as a crucial mechanism to ensure that individuals involved in laundering proceeds of crime are brought to justice and that economic offences do not go unpunished.

36. In light of the above discussion, it is evident that the appellant has failed to establish any legally sustainable ground warranting interference by this Court at a pre-trial stage. The submissions made in support of the appeal are neither legally untenable nor in the best interest of justice. The offence alleged against the appellant is clearly a continuing offence under the PMLA, and the quantum of proceeds of crime involved far exceeds the statutory threshold and requires proper investigation and judicial scrutiny. The findings of the Courts below are well-reasoned and do not call for interference.

एक अन्य विधि व्यवस्था **यूनियन आफ इण्डिया जरिये असिस्टेन्ट डायरेक्टर बनाम कन्हैया प्रसाद 2025 एससीसी आनलाइन 306** में यह अभिकथन किया गया कि–

10. At the outset, it hardly needs to be stated that the objective of the PMLA is to prevent money laundering which has posed a serious threat not only to the financial systems of the country but also to its integrity and sovereignty. The offence of money laundering is a very serious offence which is committed by an individual with a deliberate desire and the motive to enhance his gains, disregarding the interest of the nation and the society as a whole, and such offence by no stretch of imagination can be regarded as an offence of trivial nature. The stringent provisions have been made in the Act to combat the menace of money laundering.

"387. The provision post the 2018 Amendment, is in the nature of no bail in relation to the offence of money laundering unless the twin conditions are fulfilled. The twin conditions are that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of offence of money laundering and that he is not likely to commit any offence while on bail. Considering the purposes and objects of the legislation in the form of the 2002 Act and the background in which it had been enacted owing to the commitment made to the international bodies and on their recommendations, it is plainly clear that it is a special legislation to deal with the subject of money laundering

Rahul Prakash
2026-06-20T15:32:45+0530

activities having transnational impact on the financial systems including sovereignty and integrity of the countries. This is not an ordinary offence. To deal with such serious offence, stringent measures are provided in the 2002 Act for prevention of money laundering and combating menace of money laundering, including for attachment and confiscation of proceeds of crime and to prosecute persons involved in the process or activity connected with the proceeds of crime. In view of the gravity of the fallout of money laundering activities having transnational impact, a special procedural law for prevention and regulation, including to prosecute the person involved, has been enacted, grouping the offenders involved in the process or activity connected with the proceeds of crime as a separate class from ordinary criminals. The offence of money laundering has been regarded as an aggravated form of crime "world over". It is, therefore, a separate class of offence requiring effective and stringent measures to combat the menace of money laundering.

It would be an offence of money laundering to indulge in or to assist or being party to the process or activity connected with the proceeds of crime; and such process or activity in a given fact situation may be a continuing offence, irrespective of the date and time of commission of the scheduled offence. In other words, the criminal activity may have been committed before the same had been notified as scheduled offence for the purpose of the 2002 Act, but if a person has indulged in or continues to indulge directly or indirectly in dealing with proceeds of crime, derived or obtained from such criminal activity even after it has been notified as scheduled offence, may be liable to be prosecuted for offence of money laundering under the 2002 Act -for continuing to possess or conceal the proceeds of crime (fully or in part) or retaining possession thereof or uses it in trenches until fully exhausted. The offence of money laundering is not dependent on or linked to the date on which the scheduled offence, or if we may say so, the predicate offence has been committed. The relevant date is the date on which the person indulges in the process or activity connected with such proceeds of crime.

Merely because the prosecution complaint had been filed and the cognizance was taken by the court that itself would not be the ground or consideration to release the respondent on bail, when the mandatory requirements as contemplated in Section 45 have not been complied with.

Rahul Prakash
2026-06-20T15:32:45+0530

21. As well settled, the offence of money laundering is not an ordinary offence. The PMLA has been enacted to deal with the subject of money laundering activities having transnational impact on financial systems including sovereignty and integrity of the countries. The offence of money laundering has been regarded as an aggravated form of crime world over and the offenders involved in the activity connected with the Proceeds of Crime are treated as a separate class from ordinary criminals. Any casual or cursory approach by the Courts while considering the bail application of the offender involved in the offence of money laundering and granting him bail by passing cryptic orders without considering the seriousness of the crime and without considering the rigours of Section 45, cannot be vindicated.

प्रस्तुत प्रकरण में वसीउददीन का साक्ष्य का बयान अंतर्गत धारा 50 अंकित किया गया जिसमें उसने अभियुक्त द्वारा 8 करोड़ का निर्माण का कराये जाने का कथन किया जिसमें से 5.56 करोड़ रु0 उसको प्राप्त हो गये, शेष धनराशि बकाया थी। उपरोक्त धनराशि अपना घर कान्स्ट्रक्शन और नवीन घ नश्याम रोहरा के खाते से दी गयी थी। ई0डी0 द्वारा 13.02 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रोविशनल अटैचमेंट आर्डर नं0–21/25 दिनांकित 25.08.2025 के जरिये अटैच की गयी है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषणोपरान्त अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन आदि व राष्ट्र विरोधी गतिविधियो मे सम्मिलित रहा है। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा विशेष श्रेणी का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **छांगुर बाबा** की ओर से ECIR/LKZO/29/25 अन्तर्गत धारा–3/4 पी0एम0एल0ए0 एक्ट 2002 थाना–इन्फोर्समेन्ट डायरेक्ट्रेट, लखनऊ के प्रकरण में प्रस्तुत **जमानत प्रार्थना पत्र** निरस्त किया जाता है।

दिनांक–20.06.2026

(राहुल प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
सी0बी0आई0(पश्चिम)/ई0डी0 लखनऊ

Rahul Prakash
2026-06-20T15:32:45+0530